

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मनका पर व्यापार क्षेत्रिक लोगोंसे नियोजित रूप से एक जगत् वाले विद्युत व्यापारिकोंसे भी बहुत है।



2009 1 07/04/2009
2009 1 (7751) 2341696
2009 1 (7751) 2442823
2009 1 (7751) 2341786

प्रेषक :
कृत्तिवर,
लोगोजी विकासकाला
न्यालिन
काशीपुर राजस्थान/2012-5422

दिनांक: २६/११/१२

॥ सूचना ॥

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालिनगर से ग्रन्तकर्ता पैन-जार-जार्फ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्डस्ट्रीज़, नवालिनगर (0751 9457834) को सत्र 2019-20 के लिये प्रवासीविद्युत-उपकरणों एवं बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यदृष्टि-प्रिष्ठियों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अवृत्तिमात्रे प्रदान गरबो के लिये मानवीय कुलपति गहोरा-नव्यादी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालिनगर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के विविध बिंदुओं पर निम्नलिखित नियमिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डॉ.एन. गौतम, कुलाधिसक्ति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
(0751-2442603)

(संयोगक)

(2) प्र). सुविज्ञान अवस्थी, इंस्टीट्यूट ऑफ ऐनेजमेंट, जी.वि.वि. व्हालिंग्स
 (3) प्र). प्रियोष्ठकान्त शर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ ऐनेजमेंट, एडमिनि

निरीक्षण समिति के सदस्यों में अनुच्छेद है कि वे परिलियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप नहाविदातय उन प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धारों राहे, गोपिका शीलणिक/अशीक्षणिक ट्यूरिंग, प्राविकृत दस्ता से पापत अनुलेप/अनापति प्रमाण-प्र-प्रमाण शब्द, ब्रिटिश परिसर एवं पारब्रह्मा-आर्थिक्य तथा पिछले तत्र ने दी गई शर्तों की सूची जब प्रमाण पत्र के तत्त्व करें।

स्वायत्री गणिति की दौड़क दिवांग 26 नियमित 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये जिरीकानुसार जिरीकान समिति द्वारा 30 दिन ते महाविधालय का विरीकान कर 15 दिवस ते विश्वविद्यालय कानूनिक में जिरीकान प्रतिवेदन प्रबन्धित किया जाते हैं। जिससे कि सम्पूर्ण कानूनीती (नियमितालय की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेती एवं महाविधालय का प्रक्रिया तथा शासन के किट्टिश्च का पालन बहुत ज्ञान एवं ज्ञान सभी संघर्षहीन पूर्ण हो जाए।

अब उनका अवलोकन करने का प्रयत्न सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए उनकी लंबाई का विवरण पूर्ण हो जाएगा। अब उनका 45 दिवस में Report पाठ न होने की विस्तृत में यह नाम आयेगा कि महाविद्यालय का विभिन्न बही कुआ है। नियमावासर अवधिक रूपमा कहकर वरीन अग्रिम विषय की जावेगी। जिसे 15 दिवस में विरीदण टिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता। परिविहान 2(11)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त ऐसे किसा छात्रों को प्रवेश देता अनिवार्य है।

विरीदण समिति द्वारा लगभग हाला शाखा गोपनीयता प्राप्त किये जाना छात्रों को प्रवेश देना अवैधवाक है। महाविद्यालय की वर्तमानिति अंतर्विद्यालय की वर्तमानिति को अनुबन्ध कर देती है। विरीदण समिति के उच्चतम कार्यक्रम लगभग प्रयोगी लेकर जानें तथा महाविद्यालय द्वारा देते होंगा।

१८८८

- समर्थ लद्दानों की ओर सूचनावे पर्यंत आवश्यक कार्यगाही हेतु।
 - प्राचीर्य/अध्यक्ष, नियंत्रित मतभिराजालय की ओर भेजकर आगव है जिसके संक्षिप्ति के संज्ञोताक से गंपर्छ स्थापित कर विरीक्षण दियांक किया गया है अतिरिक्त विवरण १५ विवरण को अच्छा कराने की व्यवस्था करें।
 - आवुकास तक शिक्षा, उत्पुत्ता भवन, गोपनीय
 - कृष्णपति के अधिकारी, कुलसांखेत को जिजी लालकर, जीवाजी तिश्वविद्यालय, व्याख्यान।

३मिनी

खण्डक खुल्लमधिक (प्रभावता)